राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–8/2016

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

दायर दिनांक:–13.01.2020

1. किशनलाल दत्तक पुत्र बिहारी जाति रैगर, निवासी हरमाड़ा तहसील–रूपनगढ, अजमेर।

----वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–17.09.2021

यह प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर द्वारा इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया है कि वाद में वादपत्र व जवाब दावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभय पक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणवगुण पर निर्णित करें। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सूचना हेतु नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षों के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर स्पष्ट की गई।

वादी की ओर से साक्ष्य हेतु किशनलाल दत्तक पुत्र बिहारीलाल जाति रैगर, रामलाल पुत्र चौथू जाति रैगर, लक्ष्मण पुत्र जेठा जाति रैगर, श्रवणलाल पुत्र नारायण जाति रैगर सर्व निवासी हरमाड़ा के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किये, जिन पर शपथकर्तागण के बयान लिये गये। वकील वादी की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। चुंकि वादग्रस्त भूमि ग्राम हरमाड़ा के खसरा नम्बर 994/3 रकबा 9–18–10 बीघा के संदंभ में वादी द्वारा गोदनामा से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं करने, वादी का कब्जा नहीं होने, वादी का रिकॉर्ड में बतौर खातेदार, गैर खातेदार का अंकन नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक–17.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:31 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 8/2016

1. किशनलाल दत्तक पुत्र बिहारी जाति रैगर, निवासी हरमाड़ा तहसील–रुपनगढ, अजमेर।

----वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 17.09.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:31 IST
Reason: SelfAttested